न्यायालय भूमि सुधार उपसमाहर्ता, दुमका

नामान्तरण अपील वाद संख्या–24 / 2019–20

प्रभू चन्द्र जयसवाल, पिता–काशी प्रसाद जयसवाल, मो0–दुमका टाउन

वनाम

अंचल अधिकारी दुमका।

आदेश की कम सं0 और तारीख	आदेश और पदाधिकारी का हस्ताक्षर	आदेश पर की गई कार्रवाई के बारे में टिप्पणी के साथ
1	2	3
28.7.21	प्रस्तुत नानान्तरण अपील वाद सं0–24 / 19–20 में प्रभू चन्द जयसवाल, पिता–काशी प्रसाद जयसवाल, नो0–दुमका टाउन के द्वारा अंचलाधिकारी, दुमका के नामान्तरण वाद सं0–100 / R 27 19–20 में पारित आदेश दिनांक–17.08.2019 के विरुद्ध नामान्तरण अपील दायर किया गया है। अपीलकर्ता का कहना है कि उक्त नानान्तरण वाद से संबंधित डीड सं0–494 / 405 वर्ष 2011 में केवल प्रभू चन्द जयसवाल का नाम दर्ज है जबकि संबंधित डीड में दूसरे नं0 में केता ममता देवी जयसवाल का नाम है जो दर्ज नही किया गया है। अपीलार्थी के द्वारा वर्णित किया गया है कि सेल डीड से संबंधित जमीन की जमाबंदी सं0–7 / 17–1 एवं 7 / 6 के केवल दाग सं0–1167 को ही दर्ज किया गया है। उक्त जमाबंदी के दाग नं0–1168 को छोड़ दिया गया है। जबकि उक्त दोनों दाग सं0 नामान्तरण वाद में दर्ज होना चाहिए। अपीलार्थी द्वारा रजिस्ट्री सेल डीड के दोनों केता प्रभू चन्द जयसवाल एवं श्रीमती ममता देवी जयसवाल का नाम तथा दाग सं0–1167 एवं 1168 सुधार करते हुए दर्ज करने का अनुरोध किया गया है। अपीलार्थी के द्वारा अपने आवेदन में संबंधित डीड संलग्न नहीं किया गया है। जिसे वस्तुस्थिति स्पष्ट नहीं होता है। अतः अंचल अधिकारी, दुमका को आदेश दिया जाता है कि वे आवेदिका से सेल डीड की प्रति प्राप्त कर नियमानुसार जाँचोपरांत नामान्तरण संबंधी आवश्यक कार्रवाई करेंगे। इसी समीक्षा के साथ वाद की कार्रवाई समाप्त की जाती है। लेखापित एवं संशोधित। 28.07.2021 भूमि सुधार उपसमाहर्ता दुमका। 28.07.2021 भूमि सुधार उपसमाहर्ता दुमका।	

Digitally signed by BINAY MANISH R LAKRA
Date: 2021.10.06 12:30:09 +05:30
Location: 192.168.1.112